रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-03102025-266583
SG-DL-E-03102025-266583

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 296]	दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 29, 2025/आश्विन 7, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 260
No. 296]	DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 29, 2025/ASVINA 7, 1947	[N. C. T. D. No. 260

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वन एवं वन्यजीव विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 29 सितम्बर, 2025

फ.सं.1755/टीओ(सी)/टीसी फेलिंग एवं ट्रांसप्लांट/2021/8565.—जबकि, डीपीटीए ई–फोरेस्ट पोर्टल पर वृक्ष अधिकारी (पश्चिम वन प्रभाग) को महाप्रबंधक, सीजीएम (इंजीनियरिंग) एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, एसबीजी (पुनर्विकास–I), सेवा सदन, नेताजी नगर, नई दिल्ली से एक आवेदन आईडी संख्या 1755 प्राप्त हुआ था, जिसमें दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) (तत्पश्चात् डीपीटीए, 1994 के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत सरोजनी नगर, फेज–II, नई दिल्ली में जीपीआरए कॉलोनी के पुनर्विकास हेतु 3.5963 हेक्टेयर क्षेत्र में 337 वृक्षों के प्रत्यारोपण/कटाई हेतु अनुमति मांगी गई थी।

और जबकि, वृक्ष अधिकारी (पश्चिम वन प्रभाग) ने आवेदन पर समुचित विचारण के पश्चात्, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 9 की उप–धारा (3) में वृक्ष अधिकारी (पश्चिम वन प्रभाग) द्वारा वृक्ष काटने/प्रत्यारोपण के आवेदन पर विचार करने हेतु अधिकतम एक हेक्टेयर क्षेत्र की सीमा को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 9 की उप–धारा (3) की अनुप्रयोज्यता से दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 धारा 29 के अंतर्गत 3.5963 हेक्टेयर क्षेत्र (अनुलग्नक–क में विवरणानुसार) के संबंध में छूट मांगी है।

इसलिए, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा जनहित में, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम (डीपीटीए), 1994 के अंतर्गत सरोजनी नगर,

फेज–II] नई दिल्ली में जीपीआरए कॉलोनी के पुनर्विकास हेतु उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप–धारा (3) के अंतर्गत अधिकतम एक हेक्टेयर क्षेत्र की सीमा से 3.5963 हेक्टेयर क्षेत्र (अनुलग्नक–क में विवरणानुसार) को निम्नलिखित शर्तों के साथ छूट प्रदान करते है :

1) यह अधिसूचना दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 के अंतर्गत केवल 3.5963 हेक्टेयर क्षेत्र (अनुलग्नक–क में विवरणानुसार) को दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम (डीपीटीए), 1994 के अंतर्गत सरोजनी नगर, फेज– II, नई दिल्ली में जीपीआरए कॉलोनी के पुनर्विकास हेतु दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 9 की उप–धारा (3) के अंतर्गत अधिकतम एक हेक्टेयर क्षेत्र की सीमा से छूट देने हेतु जारी की जा रही है। जैसा कि वृक्ष अधिकारी (पश्चिम वन प्रभाग) द्वारा मांग की गई है।

2) दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 के अंतर्गत छूट हेतु यह अधिसूचना, किसी भी स्थिति में, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत वृक्षों के काटने/प्रत्यारोपण की अनुमति के रूप में नहीं मानी जाएगी।

3) वृक्षों के प्रत्यारोपण/काटने हेतु आवेदन पर वृक्ष अधिकारी (पश्चिम वन प्रभाग) द्वारा दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण नियमावली, 1996 के प्रावधानों, संबंधित दिशा–निर्देशों, इस संबंध में जारी निर्देशों तथा समस्त संबंधित न्यायालय आदेशों के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से तथा पृथक रूप से विचार किया जाएगा और जांच की जाएगी, जिसमें छूट प्राप्त क्षेत्र के भीतर प्रत्यारोपित/काटे जाने वाले प्रभावित वृक्षों की संख्या को न्यूनतम करने हेतु आवेदन को ध्यान में रखा जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
विजय कुमार बिधूड़ी, सचिव (पर्यावरण एवं वन)

अनुलग्नक– क

सरोजनी नगर, फेज–II,नई दिल्ली में जीपीआरए कॉलोनी के पुनर्विकास हेतु दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 9 (3) के अंतर्गत अधिकतम 1 हेक्टेयर क्षेत्र की सीमा के प्रावधान से धारा 29 के अंतर्गत छूट प्राप्त क्षेत्र की सीमा का विवरण।

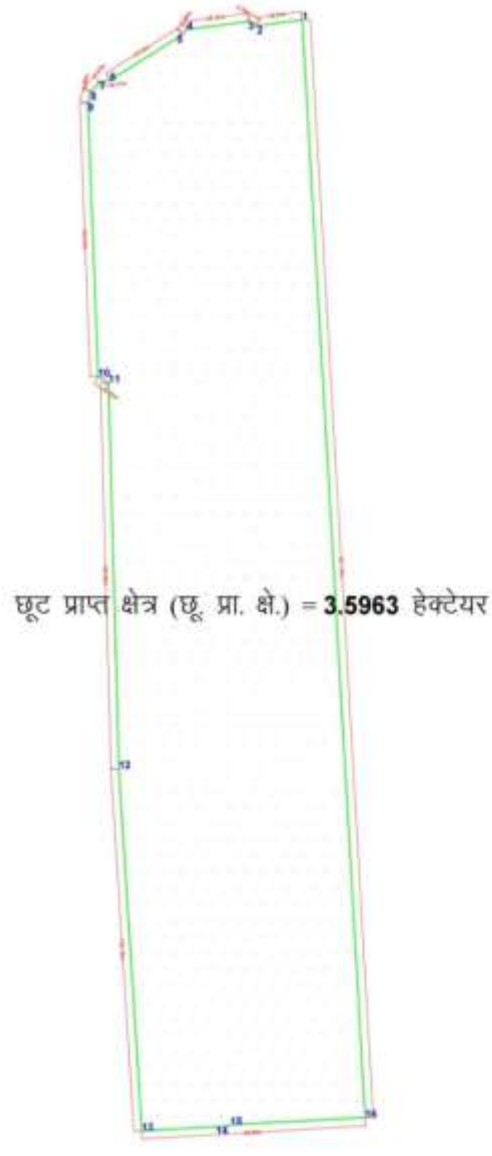

संकेतिका :–

परियोजना क्षेत्र (छूट प्राप्त)	
निर्देशांक	000
बिंदु	
परिमाप	

सरोजनी नगर, फेज– II, नई दिल्ली में जीपीआरए कॉलोनी के पुनर्विकास हेतु दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 9 (3) के अंतर्गत अधिकतम 1 हेक्टेयर क्षेत्र की सीमा के प्रावधान से धारा 29 के अंतर्गत छूट प्राप्त क्षेत्र की सीमा का विवरण।

क्र0 सं0	उत्तर दिशा की ओर	पूर्व दिशा की ओर	अक्षांश	देशान्तर
1.	3163339.275	714284.790	28°34'45.5327" उ0	77°11′27.4044" पू0
2.	3163336.824	714266.925	28°34′45.4638" उ0	77°11'267456" पू0
3.	3163338.510	714263.540	28°34′45.5205" उ0	77°11′266222" पू0
4.	3163335.554	714239.392	28°34′45.4389" उ0	77°11'257319" पू0
5.	3163333.502	714237.722	28°34'45.3732" उ0	77°11'25.6691" पू0
6.	3163316.022	714209.117	28°34′44.8226" उ0	77°11′24.6051" पू0
7.	3163315.408	714205.049	28°34'44.8051" उ0	77°11′24.4550" पू0
8.	3163311.536	714201.479	28°34'44.6815" उ0	77°11'24.3211" पू0
9.	3163307.398	714200.370	28°34′44.5478" उ0	77°11′24.2775" पू0
10.	3163202.479	714204.443	28°34′41.1385" उ0	77°11′24.3567" पू0
11.	3163200.070	714208.502	28°34’41.0608" उ0	77°11′24.3205" पू0
12.	3163052.049	714212.601	28°34'36.2489" उ0	77°11′24.5556" पू0
13.	3162913.168	714221.665	28°34′31.7338" उ0	77°11′24.7952" पू0
14.	3162914.951	714255.508	28°34'31.7716" उ0	77°11'26.0417" पू0
15.	3162915.488	714256.501	28°3431.7885" उ0	77°11′26.0786" पू0
16.	3162918.225	714309.602	28°34'31.8458" उ0	77°11'2.80837" पू0

उपभोगी संस्था द्वारा आवेदन में प्रस्तुत केएमएल फाइल से डब्ल्यूजीएस–84, यूटीएम–43 का उपयोग करके निर्देशांक पुनः प्राप्त किए गए हैं।
*छूट प्राप्त क्षेत्र = 3.5963 हेक्टेयर

DEPARTMENT OF FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 29th September, 2025

F.No.1755/TO(C)/TC Felling & Transplant/2021/8565.—**WHEREAS**, an application ID no. 1755 on DPTA e-Forest portal was received by the Tree Officer (West Forest Division) from the General Manager, CGM (Engg.) NBCC (India) Ltd., SBG (Redevelopment-I), Sewa sadan, Netaji Nagar, New Delhi, for seeking permission under the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994) (hereinafter referred to as DPTA, 1994) for transplantation / felling of 337 nos. of trees (Phase-I) affected due to re-development of GPRA Colony at Sarojni Nagar, Phase-II, New Delhi under Delhi Preservation of Trees Act (DPTA), 1994 in an area of 3.5963 hectare.

AND WHEREAS, the Tree Officer (West Forest Division) after due application of mind, has sought exemption in respect of 3.5963 hectare area (as per details in Annexure A) under Section 29 of the DPTA, 1994 from applicability of Section 9 sub-section (3) of the DPTA, 1994, in view of limitation of maximum one hectare area for considering application of tree transplantation / felling by the Tree Officer (West Forest Division) in Section 9 sub-section (3) of the DPTA, 1994.

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 29 of the DPTA, 1994, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby, in public interest, exempts an area of 3.5963 hectare (as per details in Annexure-A), from the limitation of maximum one hectare area under sub-section (3) of Section 9 of the said Act for Redevelopment of GPRA colony at Sarojni Nagar, Phase-II, New Delhi under Delhi Preservation of Trees Act (DPTA), 1994 with the following conditions:-

1. This notification is being issued under Section 29 of the DPTA, 1994 only to exempt the 3.5963 hectare area (as per details in Annexure A) from the limitation of maximum one hectare area under sub-section (3) of Section 9 of the DPTA, 1994 for re-development of GPRA Colony at Sarojni Nagar, Phase-II, New Delhi under Delhi Preservation of Trees Act (DPTA), 1994 as sought by the Tree Officer (West Forest Division).
2. This notification for exemption under Section 29 of the DPTA, 1994, in any case, shall not be considered as permission for transplantation / felling of trees under the DPTA, 1994.
3. The application for transplantation / felling of tress shall be considered and scrutinized independently and separately by the Tree Officer (West Forest Division) under the provisions of the DPTA, 1994, the Delhi Preservation of Trees Rules, 1996, relevant guidelines, directions issued in this regard and all relevant court orders with due application of mind minimizing the number of affected trees to be transplanted / felled from within the exempted area.

By Order and in the Name of the

Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

VIJAY KUMAR BIDHURI, Secy. (Environment & Forests)

Annexure- A

Boundary details of the area exempted U/S 29 from limitation of max 1 ha area U/S 9 (3) of Delhi Preservation of Trees Act, 1994, for Redevelopment of GPRA Colony at Sarojni Nagar, Phase-II, New Delhi.

Boundary Details of the Area Exempted U/S 29 from provision of limitation of max 1 ha area U/S 9 (3) Delhi Preservation of Trees Act, 1994, for Redevelopment of GPRA colony at Sarojni Nagar, Phase-II,, New Delhi.

S.NO	NORTHING	EASTING	LATITUDE	LONGITUDE
1.	3163339.275	714284.790	28°34'45.5327" N	77°11′27.4044" E
2.	3163336.824	714266.925	28°34′45.4638" N	77°11'267456" E
3.	3163338.510	714263.540	28°34′45.5205" N	77°11′266222" E
4.	3163335.554	714239.392	28°34′45.4389" N	77°11'257319" E
5.	3163333.502	714237.722	28°34'45.3732" N	77°11'25.6691" E
6.	3163316.022	714209.117	28°34′44.8226" N	77°11′24.6051" E
7.	3163315.408	714205.049	28°34'44.8051" N	77°11′24.4550" E
8.	3163311.536	714201.479	28°34'44.6815" N	77°11'24.3211" E
9.	3163307.398	714200.370	28°34′44.5478" N	77°11′24.2775" E
10.	3163202.479	714204.443	28°34′41.1385" N	77°11′24.3567" E
11.	3163200.070	714208.502	28°34’41.0608" N	77°11′24.3205" E
12.	3163052.049	714212.601	28°34'36.2489" N	77°11′24.5556" E
13.	3162913.168	714221.665	28°34′31.7338" N	77°11′24.7952" E
14.	3162914.951	714255.508	28°34'31.7716" N	77°11'26.0417" E
15.	3162915.488	714256.501	28°3431.7885" N	77°11′26.0786" E
16.	3162918.225	714309.602	28°34'31.8458" N	77°11'2.80837" E

Coordinates have been retrieved from KML file submitted in the application by the user agency using WGS-84, UTM-43.
**Exempted area = 3.5963 Hac

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.10.03 12:29:44 +05'30'